महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत लोकपालों के चयन हेतु निर्मित पैनल पर आमजन से आपत्ति आमंत्रण हेतु सूचना



:: जिला–राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर एवं कोरिया (प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सहित) ::

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी Instruction on Ombudsman (as revised on 16-01-2016) में दिये गये निर्देश के परिपालन में लोकपाल चयन हेतु राज्यस्तरीय चयन समिति की बैठक, दिनांक–17/05/2017 को अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में मंत्रालय, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) में सम्पन्न हुई।

Instruction on Ombudsman (as revised on 16-01-2014) के मापदण्डों के आधार पर चयन समिति द्वारा जिलेवार प्राप्त आवेदनों का विस्तृत परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार क्रमशः **जिला–राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर एवं कोरिया (प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सहित)** हेतु निम्नानुसार अभ्यर्थी/पैनल अनुशंसित किया गया है :–

1) जिला–राजनांदगांव में लोकपाल हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी

क्र.	नाम	पिता का नाम	अनुभव का क्षेत्र
1	श्री अमलेन्दु हाजरा	स्व. श्री कृष्णचंद्र हाजरा	समाज कार्य

2) जिला–कबीरधाम में लोकपाल हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी

क्र.	नाम	पिता का नाम	अनुभव का क्षेत्र
1	श्री दौलतराम कश्यप	श्री एम.आर. कश्यप	समाज कार्य

3) जिला–बस्तर में लोकपाल हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी

क्र.	नाम	पिता का नाम	अनुभव का क्षेत्र
1	श्री मोईन जाफर हुसैन	श्री हामीद हुसैन	समाज कार्य

4) जिला–कोरिया में लोकपाल हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी

क्र.	नाम	पिता का नाम	अनुभव का क्षेत्र	वरीयता क्रम
1	श्री गोरेलाल राजवाड़े	स्व. श्री मीठूराम राजवाड़े	विधि कार्य	प्रथम
2	श्री राधेश्याम जायसवाल	स्व. श्री गुलाब प्रसाद जायसवाल	समाज कार्य	द्वितीय
3	श्री मलखान सिंह	श्री प्रभुदयाल सिंह	समाज कार्य	तृतीय
4	श्री अशोक रत्न जायसवाल	स्व. श्री पी.आर.जायसवाल	अकादमिक	चतुर्थ
5	श्री संजय कुमार जायसवाल	स्व. श्री सीताराम जायसवाल	विधि कार्य	पंचम

क्रमशः....

उपरोक्तानुसार उल्लेखित जिलेवार पैनल में उल्लेखित अभ्यर्थियों के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो **दिनांक–23.06.2017 तक** आवश्यक प्रमाण–पत्र/दस्तावेज/साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भू–तल, महानदी भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं साक्ष्य विहीन आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त आपत्तियों पर समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

18/05/17

(पी.सी.मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग